

परिवहन विशेष

वर्ष 04, अंक 177, नई दिल्ली, शुक्रवार 02 अक्टूबर 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सफलता केवल मंजिल तक पहुँचने में नहीं, बल्कि हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने के निरंतर प्रयास में छिपी होती है।

02 शाकाहार के महत्व - शाकाहारी होने के फायदे: स्वास्थ्य, पर्यावरण और करुणा का संगम

06

₹2700 की दवा पर ₹27 हजार की कीमत क्यों?

08 भ्रष्टाचार का चरम अड्डा बना झारखंड भू-निबंधन, नामांतरण कार्यालयों में एसीबी का छापा

परिवहन विशेष समाचार पत्र को जिस तरह आप लोगों के सहयोग लगातार पिछले 3 वर्षों से प्राप्त हुआ और दिन प्रतिदिन आपकी आवाज को आगे पहुँचाने में आपका सहयोगी बना उसको देखते हुए परिवहन विशेष समाचार पत्र के प्रबंधक मंडल और ट्रांसपोर्ट विशेष न्यूज लिमिटेड कंपनी द्वारा जनहित, जनकल्याण जनसूचना और जानकारी को और तेजी से भारत सरकार और राज्य सरकारों के साथ सभी राजनीतिक संगठनों को सबसे पहले पहुँचाने के उद्देश्य से अक्टूबर माह से जनता की आवाज का अपना चैनल "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" शुरू करने का निर्णय लिया है।

जल्द आपके बीच में....

परिवहन विशेष
न्यूज दूरदर्शनबड़ी खुशखबरी! अब आपकी आवाज गुंजेगी पूरी दुनिया में
परिवहन विशेष समाचार पत्र के सफल 3 वर्षों के बाद अब नई क्रांति

आशा करते हैं जैसे आपने आज के इस दौर में "परिवहन विशेष समाचार पत्रों" को इतना आगे ले कर जाने में सहयोग दिया उसी प्रकार हमारे द्वारा आपकी आवाज बनने के लिए शुरू किए जा रहे "परिवहन विशेष न्यूज दूरदर्शन" को विश्व का सबसे बड़ा चैनल बनवाएंगे।

संजय बाठला
मुख्य संपादक

परिवहन विशेष के मिशन 'सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा' हेतु विशेष विश्लेषण रिपोर्ट

"परिवहन विशेष समाचार पत्र" का यह जनहित अभियान है कि नागरिक धारा 112 (गति सीमा), धारा 129 (हेलमेट), धारा 134 (मदद का कर्तव्य) को जीवन का सूत्र मानें।)

गति-विवाद-भोजन-उतना ही रखिए जो सीधे अस्पताल ना ले जाए - जीवन अनमोल है, सुकून-संतुष्टि से बड़ी कोई संपत्ति नहीं

यातायात नियमों का पालन और घायल को अस्पताल पहुंचाना सिर्फ नैतिकता नहीं, संवैधानिक कर्तव्य और कानूनी दायित्व है

कविता एवं विश्लेषण प्रस्तुति -
पिकी कुंडू सामाजिक परामर्शदाता
परिवहन विशेष समाचार पत्र
विश्लेषण: कविता के 4 सूत्र
और उनका विधिक आधार
रफ्तार का पैडल दबाते हुए,
जरा सीमा परख लीजिए...

1) पहला सूत्र - रफ्तार:
संवैधानिक अधिकार और कानून
संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21
- जीवन जीने का अधिकार। सुप्रीम
कोर्ट ने Francis Coralie vs
Delhi (1981) और
Parmanand Katara vs UOI
(1989) में कहा है कि सड़क पर
सुरक्षित चलना और दुर्घटना में
त्वरित इलाज पाना अनुच्छेद 21 का
हिस्सा है।

कानूनी धाराएं:
- मोटर वाहन अधिनियम
1988, धारा 112: गति सीमा का
उल्लंघन दंडनीय।
- धारा 183 (2019
संशोधन): ओवरस्पीडिंग पर
₹1000 से ₹2000 जुर्माना,
लाइसेंस जब्ती।
- धारा 184: खतरनाक
डाइविंग - 6 माह से 2 वर्ष तक
जेल।

- भारतीय न्याय संहिता
(BNS) धारा 281 (पहले IPC
279): तेज व लापरवाह ड्राइविंग।
- राजपत्रित अधिसूचना:
MoRTH अधिसूचना S.O.
1522 (E) दिनांक 06.04.2018
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति सीमा
निर्धारण।
न्यायिक आदेश: सुप्रीम कोर्ट
की सड़क सुरक्षा समिति (Justice
K.S. Radhakrishnan
Committee, 2014) का आदेश
- हर राज्य में Road Safety
Council, Speed Governor
अनिवार्य।

2) दूसरा सूत्र - रिश्ते और
विवाद: मर्यादा की लक्ष्मण रेखा
- अमर्यादा और कुसंस्कार की
आंच में रिश्ते राख होते हैं।
यह सामाजिक मर्यादा अनुच्छेद
51A (e) - मौलिक कर्तव्य -
रबंधधुत्व की भावना से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने Ramgopal vs
State of MP (2021) में कहा
कि पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता
(Mediation) को प्राथमिकता दी
जाए।

3) तीसरा सूत्र - सेहत: काया
मंदिर है

यह काया एक मंदिर है, इसे
कचरे का ढेर न बनाइए।
अनुच्छेद 47 - राज्य का कर्तव्य
है पोषण और स्वास्थ्य सुधारना।
Consumer Protection Act
2019 और FSSAI अधिसूचना
2020 - मिलावटी भोजन पर रोक।
मोटापा और जंक फूड से होने वाली
बीमारियां अनुच्छेद 21 के स्वस्थ
जीवन के अधिकार का उल्लंघन हैं।

4) चौथा सूत्र - सबसे अहम -
कर्तव्य: घायल को अस्पताल
पहुँचाना
राह में पड़े एक्सीडेंटल को
हॉस्पिटलाइज करना तो बिल्कुल ही
न भूलिए।
यह है कानून का सबसे बड़ा
बदलाव:

a) Good Samaritan Law
- सुप्रीम कोर्ट आदेश 30 मार्च
2016 (Save Life
Foundation vs UOI):
- मदद करने वाले को पुलिस
पूछताछ से छूट, अस्पताल में भर्ती से
इनकार नहीं कर सकता, नाम
गोपनीय रखा जाएगा।

b) राजपत्रित अधिसूचना -
MoRTH अधिसूचना G.S.R.
594 (E) दिनांक 29.09.2020 -

Good Samaritan Rules,
2020:
- पुलिस मददगार को गवाह बनने
के लिए मजबूर नहीं करेगी।
- मददगार को ₹5000 इनाम
और प्रशस्ति पत्र।
c) मोटर वाहन अधिनियम
धारा 134-A और 134:
- दुर्घटना करने वाले चालक का
कर्तव्य है घायल को नजदीकी
अस्पताल पहुंचाना, न करने पर 6
माह जेल और ₹10,000 जुर्माना।
- धारा 187: हिट एंड रन पर 2
साल तक जेल।

d) भारतीय न्याय संहिता BNS
धारा 106(2): हिट एंड रन कर
भागने पर 10 साल तक सजा।
संपादकीय निष्कर्ष: पंक्ति -
जीवन की चादर छोटी है, इसे पैर
पसार कर ओढ़िए - यही अनुच्छेद
21 का सार है। सड़क पर 1 मिनट
की तेजी, घर में 1 कटु वचन और
थाली में 1 निवाला अधिक - तीनों ही
सीधे अस्पताल ले जाते हैं।

परिवहन विशेष का यह जनहित
अभियान है कि नागरिक धारा 112
(गति सीमा), धारा 129
(हेलमेट), धारा 134 (मदद का
कर्तव्य) को जीवन का सूत्र मानें।

परिवहन विशेष -
राष्ट्रीय दैनिक
विश्वसनीय निष्पक्ष

**JANHIT
JANKALYAN**

JAN HIT
JAGRAN
SPECIAL

तारीख : 30 September 2026 • बुधवार

गति, विवाद, भोजन उतना ही रखिए जो सीधे अस्पताल न ले जाए - जीवन अनमोल है!

सुकून संतुष्टि से बड़ी कोई संपत्ति नहीं - यातायात नियम पालन करें, घायल को अस्पताल पहुंचाएं।

1) रफ्तार:
सड़कें खुली हैं पर सीमा परखिए,
गति का रोमांच चित्कार न बने -
MV Act धारा 112, 183 उल्लंघन पर जुर्माना

2) रिश्ते:
अमर्यादा और कुसंस्कार में रिश्ते राख होते हैं,
विवाद उतना ही रखिए जो सुलह से सुलझे

3) सेहत:
काया मंदिर है कचरे का ढेर न बनाइए,
थाली में उतना परोसिए जो प्राण दे -
Article 21 स्वस्थ जीवन का अधिकार

4) कर्तव्य:
राह चलते यातायात नियम पालन,
एक्सीडेंटल को हॉस्पिटलाइज करना -
Good Samaritan Law 2016, Supreme Court आदेश, धारा 134

तारीख 30 सितंबर 2026 • बुधवार - जनहित में जारी - सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा

नोट: यह संदेश केवल जनजागरूकता हेतु प्रकाशित है। यातायात नियमों का पालन करें। आपात स्थिति में 112 पर कॉल करें

परिवहन विशेष | www.newsparivahan.com | RNI No - DELHIN/2023/86499

फेक अलर्ट - हर शनिवार बैंक बंद का वायरल राजपत्र फर्जी | PIB Fact Check

भारत का राजपत्र of India

FAKE

S.O. 4275(E)

वायरल दावा:
S.O. 4275(E) — दिनांक 30 सितंबर 2026 - सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों में हर शनिवार अवकाश

सच्चाई:

- वित्त मंत्रालय ने ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की
- PIB Fact Check ने 1 अक्टूबर 2026 को खंडन किया, दस्तावेज फर्जी है

वास्तविक नियम:

- बैंक दूसर और चौथे शनिवार बंद, पहले तीसरे पांचवें शनिवार खुले
- 5 दिन बैंकिंग की मांग पर अभी IBA और UFBU में चर्चा जारी

सावधान रहें - अफवाहों से बचें - आधिकारिक सूचना ही मानें

RNI No DELHIN/2023/86499 | www.newsparivahan.com | प्रस्तुतकर्ता सह संपादक पिकी कुंडू

यह पोस्ट PIB Fact Check द्वारा सत्यापित। किसी भी अनधिकृत सूचना को साझा न करें।

टैपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत
https://tolwa.com/about.html | tolwaIndia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा

से जुड़े सभी दूरसंचार संसाधनों पर 15 दिन के लिए आउटगोइंग सेवाएं बंद।

- दोहराया उल्लंघन: सभी दूरसंचार संसाधन (SIMs, PRI/SIP ट्रंक आदि) एक वर्ष के लिए डिस्कनेक्ट और ऑपरेटरों में ब्लैकलिस्ट।

- शिकायत सीमा: 10 दिनों में पाँच या अधिक शिकायतें मिलने पर कार्रवाई।

- एआई आधारित पहचान: उपभोक्ता शिकायतों के बिना भी ऑपरेटरों को AI/ML सिस्टम से संदिग्ध स्पैमर्स की पहचान करनी होगी।

- KYC पुनः सत्यापन: संदिग्ध भेजने वालों का KYC पुनः सत्यापित कर नेटवर्क में साझा करना अनिवार्य।

- नया नंबर सीरीज: सेवा और लेन-देन कॉल के लिए 1601 सीरीज शुरू की गई, ताकि असली सेवा कॉल और स्पैम में अंतर किया जा सके।

- उपभोक्ता शिकायतें: उपभोक्ता अब भी 1909, TRAI DND ऐप या ऑपरेटर शिकायत सुविधा के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं।

प्रवर्तन तंत्र

- पहचान: AI सिस्टम द्वारा "संदिग्ध स्पैम" के रूप में चिह्नित कॉल को 2 घंटे के भीतर मूल ऑपरेटर को रिपोर्ट करना होगा।

- सत्यापन: मूल ऑपरेटर को 1 कार्य दिवस में भेजने वाले का KYC पहचान कर अन्य ऑपरेटरों से साझा करना होगा।

- नेटवर्क-व्यापी कार्रवाई: यदि 10 दिनों में पाँच या अधिक नंबर संदिग्ध पाए जाते हैं, तो सभी ऑपरेटरों को समन्वित कार्रवाई करनी होगी।

उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर प्रभाव

- उपभोक्ता: स्पैम ब्लॉक करना आसान; AI और शिकायत प्रणाली से तेज प्रवर्तन।

- व्यवसाय: अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक; संसाधनों का दुरुपयोग लंबे समय के डिस्कनेक्शन और ब्लैकलिस्टिंग का कारण बन सकता है।

- ऐप्स (जैसे Truecaller): सरकारी या सेवा नंबर सीरीज (1600/1601) को ब्लॉक/फिल्टर नहीं कर सकते।

TRAI का यह तीसरा संशोधन तकनीक-आधारित प्रवर्तन की दिशा में एक निर्णायक कदम है। AI पहचान, कड़े डंड और समन्वित ऑपरेटर कार्रवाई के संयोजन से, नियामक का उद्देश्य स्पैम कॉल को काफी हद तक कम करना और उपभोक्ताओं को अवांछित वाणिज्यिक संचार से सुरक्षित रखना है।

ययंययंययंस्मरन्भाव्यत्यजन्तं कलपरम्।
तंतमेतत्तैकौत्येयसदातद्भवभाविताः ॥
(गोता ८.६)

अर्थात् मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है। इस शस्त्रोक्त का आशय केवल मनमृत्यु के अंतिम क्षण से नहीं है। रसदा तद्भवभाविताः यह संकेत करता है कि जीवन भर जिस प्रकार के विचार, संकट और भावों का आश्रय किया जाता है, अंत समय में वही प्रमुख होकर उभरते हैं। इसलिए भारतीय साधना-पद्धति में सदातः ईश्वर-स्मरण, सदाचार और आत्मसंयम पर बल दिया गया है।

3.6 परिवार और ज्ञानानुबंध

भारतीय परंपरा में यह मान्यता है कि परिवार में मिलने वाले संबंध केवल संयोग नहीं हैं। माता-पिता, संतान, पति-पत्नी तथा अन्य संबंध पूर्वकृत कर्मों और ज्ञानानुबंधों के कारण प्राप्त होते हैं। यद्यपि रज्ज्वानुबंध शब्द गीता में प्रत्यक्षरूप से नहीं आया, परंतु कर्मफल और पुनर्जन्म का सिद्धांत इस अवधारणा का दार्शनिक आधार प्रकरता है।

आंगन मिलन सेवा माँड्यूल के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण गतिविधियों से रूबरू हुई महिलाएं

खंड मातनहेल और साल्हावास में आंगनवाड़ी केंद्रों पर तीन दिवसीय आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम शुरू

परिवहन विशेष न्यूज

14हजार 900 लाभार्थियों ने लिया भाग, पोषण, स्वस्थ खान-पान और सरकारी योजनाओं की दी जानकारी डीसी वर्षा खांगवाल के तहत मार्गदर्शन में स्वस्थ जीवनशैली और सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति किया जा रहा जागरूक

झज्जर, 01 अक्टूबर। जिलापर में डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में आगामी 17 अक्टूबर तक चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत गुरुवार को 'आंगन मिलन सेवा' माँड्यूल के अंतर्गत खंड मातनहेल और साल्हावास में आंगनवाड़ी केंद्रों पर तीन दिवसीय कार्यक्रमों की विधिवत शुरुआत हो गई। साल्हावास में सीडीपीओ राजबाला, मातनहेल में सुपरवाइजर सुमन रानी, छुछकवास में सुपरवाइजर रश्मि के नेतृत्व में पोषण गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों से संवाद कर पोषण, बच्चों की वृद्धि एवं विकास, स्वस्थ खान-पान और अच्छे व्यवहार सहित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई।

आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों से किया संवाद

महिला एवं बाल विकास विभाग की डीपीओ नेहा दहिया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें बच्चों के उचित पोषण, वृद्धि एवं विकास तथा स्वस्थ जीवन शैली के महत्व के बारे में

जागरूक किया गया। साथ ही गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए सुतुलित एवं पौष्टिक आहार के संबंध में भी जानकारी दी गई।

उन्होंने बताया कि खंड साल्हावास के 111 तथा मातनहेल के 148 आंगनवाड़ी

केंद्रों में आयोजित गतिविधियों में खंड साल्हावास से 7252 तथा खंड मातनहेल क्षेत्र से 7648 लाभार्थियों ने भाग लिया। इस प्रकार दोनों खंडों में कुल 15 हजार 900 लाभार्थियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की।

महिलाओं के कल्याण को लेकर सरकारी योजनाओं की भी दी जा रही जानकारी

डीपीओ ने बताया कि कार्यक्रमों के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की टीमों द्वारा संचालित विभिन्न

योजनाओं के बारे में भी लाभार्थियों को जानकारी दी गई। इनमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व एवं शिशु कल्याण योजना तथा आंगनवाड़ी आधारित स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी

योजनाओं की जानकारी शामिल रही।

पोषण और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति किया जागरूक

उन्होंने बताया कि 'आंगन मिलन सेवा' माँड्यूल के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण, स्वास्थ्य, योग एवं

स्वस्थ जीवनशैली संबंधी जागरूकता का केंद्र बनाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य लाभार्थियों को स्वास्थ्यवर्धक आदतों को अपनाने तथा बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं विकास के लिए जागरूक करना है।

एसआईआर 2026: मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने किए महत्वपूर्ण प्रावधान : डीसी

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने वीसी के माध्यम से की एसआईआर अभियान की समीक्षा

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 1 अक्टूबर

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सभी ईआरओ आयोग द्वारा जारी निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें। यह निर्देश डीसी वर्षा खांगवाल ने दिए। डीसी गुरुवार को वीसी के माध्यम से एसआईआर 2026 को लेकर जरूरी निर्देश दे रही थी। उन्होंने कहा कि आगामी 28 अक्टूबर तक वोटरों से प्राप्त दावे आपत्तियों का तत्काल निपटान सुनिश्चित किया जाए।

घर जाकर दस्तावेज एकत्र करेंगे बीएलओ

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं को अनमैप्ड अथवा लांजिकल डिस्क्रेप्सी के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घर दार पर जाकर बीएलओ आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें ईसीआई नेट पर

जिला प्रशासन झज्जर

अपलोड करेंगे। ऐसे मतदाताओं को सामान्य परिस्थितियों में ईआरओ/ईआरओ कार्यालय में सुनवाई के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से की जा सकेगी। आवश्यकता पड़ने पर मतदाता अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य को अपनी ओर से सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

श्रमिकों एवं जरूरतमंद लोगों के लिए लगाए विशेष कैंप

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी ईआरओ को निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्रों में श्रमिकों, गरीब एवं बेवशर व्यक्तियों सहित अन्य जरूरतमंद मतदाताओं की

सुविधा के लिए आवश्यकता अनुसार पर्याप्त संख्या में हेल्प डेस्क एवं विशेष कैंप आयोजित करना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि छूटे हुए एवं पहली बार पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान के जरिये एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अद्यतन प्रक्रिया के तहत छूटे हुए तथा युवा/पहली बार पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

एसआईआर अभियान अवधि में ही उपयोग हो घोषणा पत्र

डीसी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार

एसआईआर 2026 चरण के दौरान फॉर्म-6 के साथ संलग्न घोषणा पत्र का उपयोग किया गया है। एसआईआर अवधि समाप्त होने के बाद मतदाता पंजीकरण के लिए पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित प्रचलित फॉर्म ही उपयोग में लिए जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एसआईआर को लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर एसडीएम झज्जर रवि मीणा, एसडीएम बहादुरगढ़ अभिनव सिंघा, जिला परिषद के सीईओ मनीष फौगाट, एसडीएम बादली विशाल कुमार, एसडीएम बेरी रेणुका नंदेल, सीटीएम श्रद्धा, निर्वाचन उप तहसीलदार

पराली न जलाएं किसान, पर्यावरण संरक्षण में बनें भागीदार : डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल के निर्देश-विवक रिसॉर्न्स टीम रहें सक्रिय, फील्ड मॉनिटरिंग के साथ ड्रोन से भी रखी जाए नजर

झज्जर, 01 अक्टूबर

जिला में पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने और फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन एक्टिव मोड़ में कार्य कर रहा है। डीसी वर्षा खांगवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदूषण नियंत्रण उपायों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करते हुए फील्ड स्तर पर नियमित निगरानी की जाए और पराली जलाने की घटनाएं न हों इसके लिए किसानों को जागरूक किया जाए। डीसी गुरुवार को जिला के सभी एसडीएम व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दे रही थी।

डीसी ने कहा कि फसल अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी

जिला प्रशासन झज्जर

प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसानों को लगातार जागरूक करते हुए पराली न जलाने तथा फसल अवशेष प्रबंधन का उचित वैकल्पिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को यह भी बताया जाए कि फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य और पर्यावरण, दोनों के लिए लाभकारी है। उन्होंने किसानों को पर्यावरण प्रहरी बनते हुए पराली न जलाने की अपील भी की।

विवक रिसॉर्न्स टीम रहें सक्रिय

डीसी ने संबंधित अधिकारियों

को निर्देश दिए कि पराली जलाने की आशंका वाले क्षेत्रों में नियमित फील्ड विजिट की जाए और संभावित घटनाओं की पहले से पहचान कर आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने विवक रिसॉर्न्स टीम को सक्रिय रखने के निर्देश देते हुए कहा कि पराली जलाने की सूचना मिलने पर टीम तत्काल मौके पर पहुंचे और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रदूषण फैलाने वाले संश्लेषण स्रोतों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए। आवश्यकता के अनुसार ड्रोन के माध्यम से निगरानी करने तथा

एसआई के पद पर पदोन्नत हुए सुरेंद्र सिंह, डीसी वर्षा खांगवाल ने दी बधाई

-19 साल की पुलिस सेवा में निभाई अहम जिम्मेदारियां, लंबे समय से डीसी के गनमैन के रूप में दे रहे सेवाएं

झज्जर, 01 अक्टूबर।

हरियाणा पुलिस में करीब 19 वर्षों से सेवाएं दे रहे सुरेंद्र सिंह को हवलदार से सहायक उप निरीक्षक (एसआई) पद पर पदोन्नति मिली है। पदोन्नति के उपरांत डीसी वर्षा खांगवाल ने सुरेंद्र सिंह को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। डीसी ने कहा कि पदोन्नति के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है और उम्मीद है कि वह इस समर्पण एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। डीसी वर्षा खांगवाल ने सुरेंद्र सिंह को बज्र लगाकर उन्हें बेहतर सेवा के लिए प्रेरित किया। उल्लेखनीय है कि सुरेंद्र सिंह वर्ष 2007 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे। वर्ष 2016 में उन्हें हवलदार पद पर पदोन्नति मिली।

इसके बाद वर्ष 2016 से मार्च 2020 तक उन्होंने एसडीएम के गनमैन के रूप में अपनी सेवाएं दीं। मार्च 2020 से वर्ष 2026 तक वह जिला उपायुक्त के गनमैन के रूप में लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।

19 साल की सेवा में बदली जिम्मेदारी, कायम रहा दायित्व

पुलिस विभाग में भर्ती होने के बाद सुरेंद्र सिंह ने विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियां निभाईं। सुरक्षा ड्यूटी के दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्य करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन किया। हवलदार से एसआई पद तक पहुंचना उनके सेवा स्फर का महत्वपूर्ण पड़ाव है।

डीसी ने बधाया हौसला

डीसी वर्षा खांगवाल ने सुरेंद्र सिंह को बधाई देते हुए उनका हौसला अफजाई की। डीसी कार्यालय के सहकर्मियों एवं शुभचिंतकों ने भी नवनिर्वाचित एसआई सुरेंद्र सिंह को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।

DEPUTY

नवाचार, उद्यमिता और सेवा भावना से सशक्त होगा विकसित भारत : दिनेश शेखावत

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय बादली में आयोजित हुआ सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज

बादली (झज्जर), 1 अक्टूबर

सेवा संकल्प अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय बादली में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी गौ सेवा सह हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सिंह शेखावत ने विद्यार्थियों को नवाचार, उद्यमिता, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है और उनकी रचनात्मक सोच देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बादली विधानसभा संयोजक सोमबीर कोडण, सह संयोजक व सीएम विडो एमिनेंट विनोद बादसा, बादली मण्डल अध्यक्ष व ब्लॉक महत्वपूर्ण हैं और उनकी रचनात्मक सोच देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बादली विधानसभा संयोजक सोमबीर कोडण, सह संयोजक व सीएम विडो एमिनेंट विनोद बादसा, बादली मण्डल अध्यक्ष व ब्लॉक महत्वपूर्ण हैं और उनकी रचनात्मक सोच देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है।

बादली (झज्जर)

अधिकारी मनजीत दहिया, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर आनंद कादयान, प्राध्यापक गण तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में दिनेश सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने युवाओं के लिए असीम अवसर पैदा किए हैं। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और यही युवा शक्ति विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि युवा केवल नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें और अपने नवाचारों से समाज तथा राष्ट्र की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करें। उन्होंने विद्यार्थियों को सेवा संकल्प अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनसेवा, नवाचार और राष्ट्रहित को जोड़ने वाला एक जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य युवाओं को समाज की वास्तविक समस्याओं की पहचान कर उनके व्यावहारिक और

तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, महिला सुरक्षा, डिजिटल सेवाओं, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

दिनेश सिंह शेखावत ने कहा कि किसी भी नवाचार की वास्तविक सफलता पुरस्कार जीतने में नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की समस्या का समाधान बनने में है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने ज्ञान, कौशल और तकनीकी क्षमता का उपयोग समाज हित में करें तथा सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनें। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज माँड्यूल के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रतियोगिता की प्रक्रिया तथा विभिन्न श्रेणियों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को अपने प्रोजेक्ट, मॉडल, शोध, एप्लिकेशन और तकनीकी समाधानों को मंच पर लाने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि उनके विचार समाज और शासन व्यवस्था में उपयोगी योगदान दे सकें।

जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी मनजीत दहिया ने विद्यार्थियों को स्टार्टअप, स्वरोजगार, उद्यमिता तथा

केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिला और पुरुष उद्यमियों को उपलब्ध सब्सिडी, ऋण सुविधाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में दिनेश सिंह शेखावत ने सभी विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाते हुए कहा कि नशा युवा शक्ति, परिवार और समाज तीनों को कमजोर करता है। उन्होंने विद्यार्थियों से संकल्प लेने का आह्वान किया कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे और अपने मित्रों तथा समाज को भी नशामुक्त बनाने के लिए जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा, रजब युवा शक्ति सेवा, नवाचार, चरित्र निर्माण और राष्ट्रहित के संकल्प के साथ आगे बढ़ती है, तब विकसित भारत का सपना केवल लक्ष्य नहीं बल्कि वास्तविकता बन जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को नशा मुक्ति का विचार समाज और शासन व्यवस्था में उपयोगी योगदान दे सकें।

जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी मनजीत दहिया ने विद्यार्थियों को स्टार्टअप, स्वरोजगार, उद्यमिता तथा

गुहार : हे नीति निर्धारक, संशोधन करिए सुझाव में, बस इन्हीं सी गुहार हैं - जहाँ सच है, वही जरूरत, वही सुरक्षा की दरकार है। हटाइए लोकनायकपुष्पम से ध्यान, उसे श्वान ही कहेंगे दीजिए, लॉ कॉलेज से स्वानत द्वार तक सुरक्षा की लहर बढें

दीजिए।

समापन संदेश (बॉक्स में)

"केवल जीवन ही अनमोल है - राह चलते यातायात नियमों का पालन करना न भूलिए और राह में पड़े हुए एकसी डेटल को हॉस्पिटल लाइज कराना तो बिल्कुल ही न भूलिए।"

₹2700 की दवा पर ₹27 हजार की कीमत क्यों?



डॉ. प्रियंका सौरभ
पीएचडी (राजनीति विज्ञान)
कवयित्री | सामाजिक चिंतक |
संभकार

भारत में दवाओं की कीमत नियंत्रित करने के लिए Drugs (Prices Control) Order, 2013 यानी DPCO का ढांचा मौजूद है। आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल निर्धारित दवाओं के लिए सरकार अधिकतम कीमत तय करती है और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA इसकी भूमिका निभाता है...

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में दवा की कीमत और अस्पतालों की पारदर्शिता पर उठते सवाल

कैंसर का नाम सुनते ही किसी परिवार के सामने केवल बीमारी की चिंता नहीं आती, बल्कि इलाज के खर्च का भय भी खड़ा हो जाता है। जांच, ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और जीवनरक्षक दवाओं का खर्च पहले ही सामान्य परिवार की आर्थिक क्षमता को चुनौती देता है। ऐसे में यदि किसी आवश्यक दवा की कीमत उसके खुदरा विक्रेता तक पहुंचने वाली कीमत से कई गुना अधिक हो, तो सवाल केवल बाजार का नहीं रहता, बल्कि स्वास्थ्य-व्यवस्था की संवेदनशीलता, पारदर्शिता और नियमन का भी बन जाता है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैंसर की एक दवा का उदाहरण सामने आया, जिसकी कीमत खुदरा विक्रेता के लिए लगभग 2,700 रुपये बताई गई, जबकि उसकी अधिकतम खुदरा कीमत यानी एमआरपी 27,000 रुपये थी। यानी दोनों के बीच करीब दस गुना का अंतर। 22 सितंबर की सुनवाई में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस अंतर पर बेहद कड़ी टिप्पणी की थी। 29 सितंबर को हुई अगली सुनवाई में भी अदालत ने इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए केंद्र से पूछा कि दवाओं की कीमत में इतना बड़ा अंतर क्यों हो और क्या दवाओं के लिए एक समान सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। अदालत ने 16 प्रतिशत के एक समान मार्जिन की संभावना पर भी सवाल खड़ा, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह अदालत की ओर से पूछा गया सवाल था, अंतिम आदेश या लागू नियम नहीं। मामले की अगली

सुनवाई 12 अक्टूबर 2026 को सूचीबद्ध की गई है।

यह प्रकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ सवाल केवल 27 हजार रुपये की एक दवा का नहीं है। सवाल यह है कि जीवन बचाने वाली दवाओं के मूल्य निर्धारण की पूरी श्रृंखला कितनी पारदर्शी है। निर्माता से दवा निकलने के बाद वितरक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और अस्पताल तक पहुंचते-पहुंचते कीमत किस आधार पर बदलती है? यदि किसी दवा का मूल्य 2,700 रुपये है तो उसकी एमआरपी दस गुना अधिक तय करने का आर्थिक औचित्य क्या है? मरीज के पास इन कीमतों को समझने और तुलना करने का कितना अवसर है?

भारत में दवाओं की कीमत नियंत्रित करने के लिए Drugs (Prices Control) Order, 2013 यानी DPCO का ढांचा मौजूद है। आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल निर्धारित दवाओं के लिए सरकार अधिकतम कीमत तय करती है और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA इसकी भूमिका निभाता है। लेकिन सभी दवाएं समान तरीके से मूल्य नियंत्रण के दायरे में नहीं आती। यही वह क्षेत्र है जहां कीमत निर्धारण की पारदर्शिता और मरीज के हित के बीच संतुलन का प्रश्न उठता है।

सुप्रीम कोर्ट की चिंता का एक दूसरा पहलू निजी अस्पतालों की इन-हाउस फार्मसी से जुड़ा है। यदि मरीज को अस्पताल यह कहे कि उपचार के दौरान दवा केवल अस्पताल की निर्धारित फार्मसी से ही खरीदनी होगी, तो मरीज के पास कीमत की तुलना करने का विकल्प सीमित हो जाता है। बीमारी की गंभीरता और डॉक्टर पर निर्भरता के कारण मरीज पहले ही कमजोर स्थिति में होता है। ऐसे समय में उसे दवा के दूसरे स्रोत या कम कीमत



वाले वैकल्पिक विकल्प की जानकारी न मिलना उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा गंभीर प्रश्न है। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा—हर निजी अस्पताल या हर दवा कंपनी को दोषी मान लेना उचित नहीं होगा। दवा के मूल्य में अनुसंधान, उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, परिवहन, भंडारण, वितरण और अन्य लागतें भी होती हैं। लेकिन इन लागतों के नाम पर कीमतों में असामान्य अंतर हो तो उसका स्पष्ट हिसाब और नियामकीय जांच आवश्यक हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से भी यह संकेत दिया गया कि व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश पर विचार किया जा सकता

है।

इस पूरे मामले में सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का पहलू भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी मरीज का इलाज सरकारी योजना के अंतर्गत हो रहा है और दवाओं का भुगतान अंततः सार्वजनिक धन से होता है, तो अत्यधिक कीमत का असर केवल मरीज पर नहीं बल्कि करदाताओं पर भी पड़ सकता है। अदालत ने इसी संदर्भ में सरकारी प्रतिपूर्ति और अस्पतालों द्वारा दवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर सवाल उठाए।

भारत में कैंसररोगी दवाओं का बाजार भी लगातार बढ़ा है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग की 2025-

26 की वार्षिक रिपोर्ट के हवाले से उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 2024-25 में भारत में कैंसर-रोगी दवाओं की बिक्री लगभग 5,281 करोड़ रुपये रही, जबकि 2021-22 में यह करीब 3,382 करोड़ रुपये थी। यह वृद्धि अपने आप में गलत या अनुचित नहीं है, क्योंकि कैंसर के उपचार की मांग, रोग की पहचान और उपचार के विकल्पों में बदलाव भी बाजार को प्रभावित करते हैं। लेकिन बढ़ते बाजार के साथ मरीजों के हितों की निगरानी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए।

सबसे जरूरी सुधार पारदर्शिता का है। मरीज को दवा की वास्तविक कीमत, एमआरपी, उपलब्ध

वैकल्पिक ब्रांड और अस्पताल द्वारा लगाए जा रहे अतिरिक्त शुल्क की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। अस्पतालों को दवा खरीद की बाध्यता के मामलों में स्पष्ट नीति रखनी चाहिए। यदि किसी कारण से अस्पताल की फार्मसी से ही दवा लेना जरूरी है तो उसका कारण मरीज को बताया जाना चाहिए। सरकारी योजनाओं के तहत दवाओं की कीमतों और प्रतिपूर्ति की नियमित ऑडिट व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए।

सस्ती दवा का अर्थ केवल सस्ता ब्रांड उपलब्ध कराना नहीं है। दवा की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और विश्वसनीयता भी सुनिश्चित करनी

होगी। जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देना उपयोगी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर, मरीज और फार्मासिस्ट के बीच जिम्मेदार सूचना-व्यवस्था भी जरूरी है। मरीज को यह भरोसा होना चाहिए कि कम कीमत का विकल्प घटिया या नकली दवा नहीं है।

स्वास्थ्य सेवा को केवल बाजार की सामान्य वस्तु मानकर नहीं देखा जा सकता। बीमारी के समय व्यक्ति की आर्थिक क्षमता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता दोनों सीमित हो जाती हैं। इसलिए जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों में उचित संतुलन लोकतांत्रिक कल्याणकारी व्यवस्था की जिम्मेदारी है।

₹2,700 और ₹27,000 के बीच का अंतर केवल दस गुना कीमत का अंतर नहीं है। किसी गरीब परिवार के लिए यही अंतर इलाज जारी रखने और इलाज छोड़ देने के बीच का अंतर बन सकता है। किसी मध्यमवर्गीय परिवार के लिए यही अंतर बचत समाप्त होने, कर्ज लेने या संपत्ति बेचने का कारण बन सकता है। इसलिए दवा की कीमत तय करने वाली व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें मुनाफा कमाने का अधिकार और मरीज के जीवन का अधिकार—दोनों के बीच स्पष्ट और न्यायसंगत संतुलन हो।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने इस बहस को देश के सामने फिर से ला खड़ा किया है। अब जरूरत केवल तीखी टिप्पणियों की नहीं, बल्कि ऐसी स्पष्ट नीति की है जिसमें कीमत निर्धारण की प्रक्रिया पारदर्शी हो, अस्पतालों की फार्मसी व्यवस्था पर प्रभावी निगरानी हो, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में सार्वजनिक धन का विवेकपूर्ण उपयोग हो और मरीज को उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवा मिल सके।

दवा बीमारी से लड़ने का साधन है, मरीज की मजबूरी से मुनाफा कमाने का माध्यम नहीं।

परंपरा से आगे: क्या संस्कृत दैनिक जीवन में अपना स्थान बना सकती है ?

डॉ. विजय गर्ग

संस्कृत को अक्सर विश्व की महान शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है—एक ऐसी भाषा, जिसका संबंध प्राचीन भारतीय साहित्य, दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, व्याकरण, चिकित्सा और आध्यात्मिक परंपराओं से रहा है। हालांकि, बहुत से लोगों के लिए संस्कृत आज भी मुख्यतः पाठ्यपुस्तकों, मंदिरों, धार्मिक अनुष्ठानों और शैक्षणिक संस्थाओं तक सीमित है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है—क्या संस्कृत अपनी पारंपरिक छवि से आगे बढ़कर आधुनिक दैनिक जीवन में सार्थक स्थान बना सकती है ?

इसका उत्तर यह नहीं है कि संस्कृत उन भाषाओं का स्थान ले, जिन्हें लोग आज बोलते हैं। इसके बजाय, इसका भविष्य ज्ञान, संस्कृति, रचनात्मकता और संचार की एक अतिरिक्त भाषा के रूप में विकसित होने में हो सकता है।

असाधारण विरासत वाली भाषा
भारत के बौद्धिक इतिहास में संस्कृत का विशिष्ट स्थान है। दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, काव्य और राजनीतिक चिंतन से संबंधित अनेक ग्रंथ संस्कृत में सदियों तक लिखे गए। विशेष रूप से पाणिनि से जुड़ी व्याकरण परंपरा भाषा की संरचना और शुद्धता के प्रति असाधारण रुचि को दर्शाती है। संस्कृत के पास विशाल साहित्यिक विरासत थी है। महाकाव्य, शास्त्रीय काव्य, दार्शनिक ग्रंथ, नाटक और ज्ञान-विज्ञान से संबंधित रचनाएं भारत के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के विभिन्न पक्षों को सामने रखती हैं।

लेकिन केवल विरासत किसी भाषा के भविष्य की गारंटी नहीं हो सकती। कोई भाषा तब अधिक मजबूती से जीवित रहती है, जब लोगों के पास उसे प्रयोग करने के कारण होते हैं। यहीं से आधुनिक संस्कृत को लेकर चर्चा शुरू होती है।

अनुष्ठान की भाषा से जीवंत भाषा तक
किसी भाषा का सम्मान किया जा सकता है, भले ही उसे बहुत कम लोग बोलते हों। संग्रहालय प्राचीन वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं, पुस्तकालय पांडुलिपियों का संरक्षण करते हैं और समाजिक स्थापत्य विरासत को संभालकर रखते हैं। लेकिन एक जीवंत भाषा के लिए इससे अधिक आवश्यक है—नियमित मानवीय संवाद। यदि संस्कृत को दैनिक जीवन में अधिक दिखाई देना है, तो उसका प्रयोग केवल औपचारिक अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी होना चाहिए।

कल्पना कीजिए कि संस्कृत का प्रयोग कभी-कभी स्कूल की बातचीत, बच्चों के खेल, डिजिटल शिक्षण मंचों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पॉडकास्ट, लघु फिल्मों, सोशल मीडिया सामग्री और परिवार के सरल संवादों में होने लगे। इसके लिए हर व्यक्ति का संस्कृत का विद्वान होना आवश्यक नहीं है।

उद्देश्य केवल भाषा को सरल और सुलभ

बनाना हो सकता है। एक बच्चा यदि संस्कृत के दस उपयोगी वाक्य सीखता है, तो उसका अनुभव उस विद्यार्थी से अलग होगा जो हजारों व्याकरणिक नियमों का अध्ययन करता है। दोनों का अपना महत्व है, लेकिन पहला तरीका भाषा के साथ अधिक स्वाभाविक संबंध बना सकता है।

संस्कृत और शिक्षा
संस्कृत को समकालीन पहचान देने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। संस्कृत को केवल परीक्षा के लिए याद किए जाने वाले विषय के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय, इसे उन विषयों से जोड़ा जा सकता है जिनमें विद्यार्थी पहले से रुचि रखते हैं। संस्कृत की शब्दावली का अध्ययन विज्ञान, गणित, साहित्य, दर्शन और कंप्यूटर विज्ञान के साथ किया जा सकता है।

विद्यार्थी यह देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में संख्याओं, खगोल विज्ञान, चिकित्सा या तर्क से संबंधित विषयों पर किस प्रकार चर्चा हुई, साथ ही उन्हें ऐतिहासिक विचारों और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के बीच अंतर समझने का अवसर भी मिलना चाहिए। डिजिटल उपकरण इस प्रक्रिया को और रोचक बना सकते हैं। इंटरैक्टिव शब्दकोश, उच्चारण संबंधी ऐप, संवादात्मक अभ्यास, ऑडियो पाठ, खेल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भाषा-शिक्षण उपकरण विद्यार्थियों को बिना भय के संस्कृत सीखने में सहायता कर सकते हैं।

कक्षा में संस्कृत को केवल पुरा किया जाने वाला पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि खोजी और समझी जाने वाली भाषा बनाया जाना चाहिए।

तकनीक में संस्कृत
तकनीक का महत्व में शास्त्रीय भाषाओं के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है। डिजिटल पुस्तकालय पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने और उन्हें खोजने योग्य बनाने में सहायता कर सकते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जैसी तकनीक पुरानी मुद्रित सामग्री को डिजिटल पाठ में बदलने में उपयोगी हो सकती है। वाक्-प्रौद्योगिकी उच्चारण और भाषा सीखने में सहायता कर सकती है। मशीन अनुवाद और भाषा मॉडल भविष्य में शोधकर्ताओं को संस्कृत की विशाल सामग्री समझने और व्यवस्थित करने में सहायता कर सकते हैं, हालांकि ऐसे उपकरणों की जानकारी को विद्वानों द्वारा सावधानीपूर्वक सत्यापित किया जाना आवश्यक होगा।

संस्कृत डिजिटल सामग्री की दुनिया का हिस्सा भी बन सकती है। संस्कृत शब्दों को समझने वाले छोटे वीडियो, शास्त्रीय साहित्य पर पॉडकास्ट, पारंपरिक कथाओं पर आधारित एनिमेशन और बच्चों के लिए शैक्षिक ऐप ऐसी पीढ़ी तक भाषा पहुंचा सकते हैं, जो शायद कभी पारंपरिक व्याकरण की पुस्तक न खोले।

इसलिए स्मार्टफोन को केवल शास्त्रीय शिक्षा का प्रतिद्वंद्वी मानने की आवश्यकता नहीं है। वह



संस्कृत के पुनर्जीवन का माध्यम भी बन सकता है।

दैनिक शब्दावली और सांस्कृतिक जुड़ाव
संस्कृत पहले से ही अनेक भारतीय भाषाओं की शब्दावली में मौजूद है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल होने वाले हजारों शब्दों की जड़ें संस्कृत में हैं या उन पर संस्कृत का प्रभाव रहा है।

यह एक स्वाभाविक पुल प्रदान करता है।
लोगों को संस्कृत सीखने के लिए हमेशा कठिन साहित्यिक अंशों से शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिचित शब्दों, नामों, अभिवादन, संख्याओं, सामान्य अभिव्यक्तियों और रोचकता में आने वाले विचारों से शुरुआत कर सकते हैं। शब्दों की उत्पत्ति और उनके अर्थ को समझना भाषाई जागरूकता को भी गहरा कर सकता है। इससे विद्यार्थियों को पता चलता है कि भाषाएं अलग-अलग बंद खानों में विकसित नहीं होतीं; वे एक-दूसरे से जुड़ती हैं, शब्द ग्रहण करती हैं, बदलती हैं और समय के साथ विकसित होती हैं। इस दृष्टिकोण से संस्कृत भाषाई जिज्ञासा का विषय बन सकती है, केवल भाषाई दायित्व का नहीं।

संस्कृत को प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं बनना चाहिए
संस्कृत पर किसी भी चर्चा में भारत की असाधारण भाषाई विविधता को ध्यान में रखना आवश्यक है।

भारत की कोई एकमात्र सांस्कृतिक भाषा नहीं है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, असमिया, ओड़िया, हिंदी, उर्दू और अनेक अन्य भाषाओं की अपनी समृद्ध ऐतिहासिक एवं साहित्यिक परंपराएं हैं। संस्कृत का सांस्कृतिक महत्व इन भाषाओं के महत्व को कम नहीं करता। इसलिए संस्कृत को बढ़ावा देने का अर्थ अन्य

भारतीय भाषाओं से ऊपर रखना नहीं होना चाहिए। स्वस्थ दृष्टिकोण स्थानापन्न करने के बजाय जोड़ने का है।

एक विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में मजबूत होते हुए संस्कृति सीख सकता है और साथ ही अंग्रेजी या किसी अन्य भारतीय अथवा अंतरराष्ट्रीय भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बहुभाषिकता व्यक्ति के बौद्धिक संसार को सीमित नहीं, बल्कि विस्तृत कर सकती है।

क्या संस्कृत संवाद की भाषा बन सकती है ?
कुछ समुदायों और शैक्षणिक पहलों ने संस्कृत में संवाद करने के प्रयोग किए हैं। उनके अनुभव बताते हैं कि पर्याप्त अभ्यास और प्रोत्साहन मिलने पर संस्कृत का सामान्य बातचीत में भी प्रयोग किया जा सकता है।

लेकिन संस्कृत को व्यापक दैनिक बोलचाल की भाषा बनाने के लिए निरंतर सामाजिक भागीदारी आवश्यक होगी। परिवारों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक संस्थाओं और डिजिटल समुदायों—सभी को इसमें योगदान देना होगा।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि सीखने वालों को गलतियां करने में संकोच नहीं होना चाहिए। हर जीवंत भाषा प्रयोग और गलतियों की गुंजाइश रखती है। भाषा तब सुलभ बनती है, जब शुरुआती सीखने वालों को पहले अपूर्ण रूप से बोलने और बाद में सही बोलने का अवसर मिलता है।

यदि संस्कृत को हमेशा अत्यंत औपचारिक और पवित्र भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तो बहुत से लोग उसका प्रयोग करने में संकोच कर सकते हैं। यदि इसे ऐसी भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाए जिसमें सीखा, बोला, खेला-खेल में प्रयोग किया और रचनात्मक रूप से अपनाया जा सकता है, तो इसके प्रति मनोवैज्ञानिक दूरी कम हो सकती

है।

आधुनिक साहित्य का महत्व
कोई भाषा केवल अपने शास्त्रीय साहित्य के सहारे जीवित नहीं रह सकती। संस्कृत में ऐसे समकालीन लेखक चाहिए जो आज की दुनिया के बारे में कहानियां और रचनाएं लिखें—तकनीक, जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शिक्षा, पारिवारिक संबंध, शहरी जीवन, ग्रामीण परिवर्तन और युवाओं के सपनों पर।

कल्पना कीजिए कि संस्कृत में एक ऐसी कहानी लिखी जाए जिसमें कोई किशोर रोबोट बनाता है, कोई विज्ञान लेख चंद्रमिशन को समझाता है या बच्चों के लिए पर्यावरण संरक्षण पर कॉमिक तैयार की जाती है।

ऐसा साहित्य यह दिखा सकता है कि संस्कृत केवल अतीत की भाषा नहीं है। वह वर्तमान का वर्णन और भविष्य की कल्पना भी कर सकती है। इतिहास का सम्मान, लेकिन उसका रोमानीकरण नहीं। संस्कृत के पुनर्जीवन का आधार ऐतिहासिक ईमानदारी भी होना चाहिए।

प्राचीन ग्रंथ ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, लेकिन वे अपने-अपने ऐतिहासिक संदर्भों में लिखे गए थे। आधुनिक पाठकों को उनका आलोचनात्मक अध्ययन करना चाहिए, उनकी सीमाओं को समझना चाहिए और ऐतिहासिक विचारों तथा प्रयोगों से प्रमाणित आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के बीच अंतर करना चाहिए।

किसी शास्त्रीय भाषा के प्रति सम्मान का अर्थ यह नहीं है कि उसकी प्रत्येक पारंपरिक धारणा को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित मान लिया जाए। वास्तव में आलोचनात्मक अध्ययन संस्कृत के बौद्धिक महत्व को और मजबूत करता है। संस्कृत के साहित्य, दर्शन, भाषाई संरचना और ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करते हुए भी उसे

प्रमाण-आधारित चिंतन के लिए खुला रखा जा सकता है।

जुड़ाव की भाषा
शायद संस्कृत का सबसे सार्थक भविष्य ऐसी भाषा बनने में नहीं है जिसे समाज पर थोपा जाए, बल्कि ऐसी भाषा बनने में है जिसे लोग अपनी इच्छा से खोजें और सीखें।

कोई विद्यार्थी भारतीय दर्शन में रुचि के कारण संस्कृत सीख सकता है। कोई शास्त्रीय काव्य को समझने के लिए इसका अध्ययन कर सकता है। कोई वैज्ञानिक प्राचीन गणितीय ग्रंथों की खोज कर सकता है। कोई भाषाविज्ञानी इसकी व्याकरण का अध्ययन कर सकता है। कोई बच्चा केवल संस्कृत की कहानियों का आनंद लेने के लिए इसे सीख सकता है।

अलग-अलग प्रेरणाएं एक साथ मौजूद रह सकती हैं।
इसलिए संस्कृत का भविष्य केवल इस बात से नहीं मापा जाना चाहिए कि कितने लोग इसे धाराप्रवाह बोलते हैं। इसका प्रभाव इस बात से भी समझा जा सकता है कि कितने लोग इसके साहित्य तक पहुंच बना सकते हैं, इसकी शब्दावली समझ सकते हैं, इसकी बौद्धिक परंपराओं से जुड़ सकते हैं और इसका रचनात्मक प्रयोग कर सकते हैं।

परंपरा से आगे
वास्तविक चुनौती यह नहीं है कि संस्कृत अतीत से संबंधित है या नहीं। निश्चित रूप से उसका भारत के अतीत से गहरा ऐतिहासिक संबंध है। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वह वर्तमान में भी प्रासंगिक बन सकती है?

इसके लिए संस्कृत को प्रस्तुत करने के तरीके में बदलाव आवश्यक है।

कम भय, अधिक संवाद। कम रटने की प्रवृत्ति, अधिक खोज। कम अलगाव, अधिक समन्वय। कम अतीत का रोमानीकरण, अधिक समकालीन रचनात्मकता।

संस्कृत को महत्वपूर्ण बने रहने के लिए हर व्यक्ति की प्रथम भाषा बनने की आवश्यकता नहीं है। वह भारत की अनेक भाषाओं के बीच एक मूल्यवान् स्थान रख सकती है—एक शास्त्रीय भाषा के रूप में, साहित्य और ज्ञान के स्रोत के रूप में, अध्ययन और शोध के विषय के रूप में तथा उन लोगों के लिए दैनिक संवाद की भाषा के रूप में जो इसे सीखना और प्रयोग करना चाहते हैं।

संस्कृत का भविष्य शायद इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि हम उसके प्राचीन गौरव का कितना जोर से उत्सव मनाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उस विरासत को आधुनिक मानव जीवन से कितनी रचनात्मकता के साथ जोड़ पाते हैं। कोई भाषा वास्तव में तब जीवित होती है, जब लोग केवल उसका संरक्षण करना बंद करके उसका प्रयोग करना शुरू करते हैं।

डॉ. विजय गर्ग
सेवानिवृत्त प्राचार्य। शिक्षाविद एवं
प्रख्यात वैज्ञानिक
स्ट्रीट कोर चंद, एमएचआर मालोट,



वेदांता की फ्लाई ऐश निस्तारण व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल, ओएसपीसीबी ने जांच के लिए निर्देश

पीएमओ पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बाद हरकत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; झारसुगुड़ा-सुंदरगढ़-संबलपुर में कृषि भूमि, जलस्रोत और जनजीवन पर असर का आरोप



परिवहन विशेष न्यूज
राउरकेला, 1 अक्टूबर । झारसुगुड़ा स्थित वेदांता एल्युमिनियम संयंत्र से निकलने वाली फ्लाई ऐश के कथित अनियंत्रित एवं अनुचित निस्तारण को लेकर पर्यावरणीय चिंता अब आधिकारिक जांच के स्तर तक पहुंच गई है। ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओएसपीसीबी) के वैज्ञानिक-एफ एवं विभाग प्रमुख प्रसून गांगुली ने 21 सितंबर 2026 को संबंधित शिकायत पर कार्रवाई के लिए

पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार राउरकेला निवासी राजकुमार यादव द्वारा पीएमओ पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पर 3 सितंबर 2026 को दर्ज शिकायत का संदर्भ लेते हुए कहा गया है कि झारसुगुड़ा स्थित वेदांता एल्युमिनियम संयंत्र से निकलने वाली फ्लाई ऐश के अनुचित निस्तारण से झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और संबलपुर जिलों की कृषि भूमि, जलस्रोत, पर्यावरण एवं जनजीवन पर गंभीर प्रभाव तथा स्वास्थ्य संबंधी खतरे की शिकायत की गई है। बोर्ड ने शिकायत में उठाए गए बिंदुओं की गंभीरता से जांच कर उचित कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई से शिकायतकर्ता तथा कार्यालय



को अवगत कराने का निर्देश दिया है। मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2026 में वेदांता के झारसुगुड़ा परिसर की ऐश-पौड व्यवस्था को लेकर न्यायिक एवं नियामकीय स्तर

पर भी सवाल उठे हैं। अगस्त 2026 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सिरियापाली के निकट प्रस्तावित ऐश पौड को लेकर ओएसपीसीबी और झारसुगुड़ा जिला प्रशासन की संयुक्त जांच का निर्देश दिया था।

वहीं, कंपनी के अपने पर्यावरण अनुपालन रिकॉर्ड के अनुसार अगस्त 2026 तक उसके 1215 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट में 22.38 लाख टन तथा 2400 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट में 15.31 लाख टन पौड ऐश

दर्ज थी। ऐसे में ओएसपीसीबी की जांच यह स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण होगी कि फ्लाई ऐश का भंडारण, परिवहन और उपयोग निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं।

भारत की संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान सर्वप्रथम है-अजीत तेवतिया



परिवहन विशेष न्यूज

अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर दक्ष फाउंडेशन की प्रमुख सामाजिक पहल "ख्याल अपने बुजुर्गों का" (#KAB2026) का दसवाँ संस्करण आज अमृता हॉस्पिटल के मातामृतानंदमयी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। "उनकी विरासत, हमारी पहचान" थीम पर हुए इस आयोजन में फरीदाबाद के लगभग 35 स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपने दादा-दादी और नाना नानी के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. अजीत तेवतिया, जनरल काउंसिल सदस्य, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस (NISD), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, (भारत सरकार) तथा सदस्य, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय (भारत सरकार) उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, उनके अनुभवों और समाज के निर्माण में उनके योगदान को नई पीढ़ी तक

पहुंचाना रहा। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के साथ संवाद एवं उनके सम्मान के माध्यम से सामाजिक मूल्यों, संस्कारों और पीढ़ियों के बीच आपसी जुड़ाव का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि डा. अजीत तेवतिया ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके जीवन के अनुभव और संस्कार आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज की जिम्मेदारी है कि बुजुर्गों को सम्मान, सुरक्षा और अपनापन मिले तथा युवा पीढ़ी उनके अनुभवों से सीख ले। कार्यक्रम के दौरान "पीढ़ियाँ जुड़े, संस्कार बढ़ें, समाज सुदृढ़ बनें" का संदेश दिया गया। आयोजकों ने सामाजिक संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों को मजबूत करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण बताया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, सुरक्षा और

कल्याण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। हमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जिसमें उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले, उनकी आवश्यकताओं को समझा जाए और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़े रखा जाए। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच, सामाजिक सुरक्षा और परिवार आधारित देखभाल को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम में दक्ष फाउंडेशन की कोर टीम से ब्रिगेडियर एन. एन. माथुर, कर्नल आदर्श कैप्लाश, विंग कमांडर एच. सी. मान, मेजर राजेश गर्ग, डॉ. सरिता सचदेवा, डॉ. चारु रायपाल, डॉ. विजेन्द्र सिंह देसवाल, डॉ. अजय गर्ग, प्रो. राज कुमार वर्मा, श्री एच. एस. मलिक, श्री अरुण गुप्ता, श्री सुरेंद्र सिंह और श्री प्रयास दलाल सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

राउरकेला में परिवहन जगत के प्रतिनिधियों की सौजन्य मुलाकात, कारोबार की चुनौतियों पर मंथन



छत्तीसगढ़ में बड़े आयोजन की तैयारी, श्रवण बिष्णोई ने दिया जल्द आमंत्रण का आश्वासन

परिवहन विशेष न्यूज

राउरकेला, 1 अक्टूबर 2026 ।परिवहन एवं व्यापार क्षेत्र से जुड़े संगठनों के बीच समन्वय और साझा समस्याओं को लेकर राउरकेला में एक महत्वपूर्ण सौजन्य मुलाकात कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) उपलब्धता के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्रवण बिष्णोई जी, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी से जुड़े अन्य प्रतिनिधियों तथा कैट के राष्ट्रीय चेयरमैन बुजमोहन अग्रवाल व अन्य पदाधिकारियों का राउरकेला गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं सलाहकार राममेहर शर्मा, डॉ. राजकुमार यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा तथा उनकी टीम ने स्वागत किया। इस अवसर पर दिल्ली से आए अशोक जैन, ऋषभ

जैन व अन्य पदाधिकारी सह, श्री रामांशकर प्रसाद, नंदकिशोर सिंह सहित अन्य प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बैठक में कैट के संगठनात्मक विषयों के साथ-साथ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) उपलब्धता से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। चर्चा का प्रमुख केंद्र परिवहन व्यवसाय के सामने लगाता बढ़ती लागत, मालभाड़े पर दबाव, टोल एवं परिचालन खर्च, वाहन रखरखाव, चालक संबंधी समस्याएं तथा छोटे और मध्यम ट्रांसपोर्टरों की घटती लाभप्रदता रही। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में यह चिंता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सड़क लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लागत और प्रतिस्पर्धा का दबाव लगातार बना हुआ है। क्रिसिल के विश्लेषण के अनुसार परिवहन परिचालन में ईंधन लागत का हिस्सा लगभग 50-60 प्रतिशत तक हो सकता है, जबकि कमजोर मांग और अतिरिक्त क्षमता के कारण छोटे ऑपरेटरों के लिए बढ़ी लागत को मालभाड़े में पूरी तरह

समायोजित करना कठिन रहता है। वहीं, ICRA ने FY2027 में सड़क लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के राजस्व में 8-10 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है, लेकिन संगठित क्षेत्र के बढ़ते प्रभाव और प्रतिस्पर्धा को भी महत्वपूर्ण कारक माना है। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि ट्रांसपोर्ट और ट्रेड्स देश की आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ हैं, इसलिए नीतिगत फैसलों में छोटे कारोबारियों और पारंपरिक परिवहन व्यवसायियों की व्यावहारिक कठिनाइयों को पर्याप्त महत्व मिलना चाहिए। इस दौरान श्रवण बिष्णोई ने छत्तीसगढ़ में शीघ्र ही एक बड़े आयोजन की रूपरेखा बनाने की बात कही तथा ओडिशा सहित बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, संबंधित प्रतिनिधियों व नेतृत्वकर्ताओं को जल्द आमंत्रित करने का आश्वासन दिया। बैठक को परिवहन एवं व्यापार क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत पूर्व तट रेलवे की ओर से व्यापक श्रमदान

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर : चल रहे स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत पूर्व तट रेलवे की ओर से आज भुवनेश्वर स्थित रेल विहार मैदान में "एक दिन, एक घंटा, एक साथ" विषय पर व्यापक श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम ने स्वच्छता, जनभागीदारी और सतत पर्यावरण के प्रति रेलवे की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। पूर्व तट रेलवे के महाप्रबंधक श्री परमेश्वर फुंकवाल ने कार्यक्रम में शामिल हाकर अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और सफाई मित्रों के साथ स्वच्छता



अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वच्छता का संदेश देते हुए रेलवे कर्मचारियों और आम जनता से स्वच्छता को नियमित आदत बनाने तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का

आह्वान किया। व्यापक श्रमदान के दौरान रेल विहार मैदान में साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण, घास की कटाई सहित विभिन्न स्वच्छता संबंधी कार्य किए गए। इसमें रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी, उनके

परिवार के सदस्य और सफाई मित्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अवसर पर सफाई मित्रों को उनकी निष्ठापूर्ण सेवा तथा रेलवे परिसरों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई बनाए रखने में उनके योगदान के लिए

सम्मानित किया गया। महाप्रबंधक ने सफाई मित्रों की भूमिका की सराहना करते हुए उनकी सुरक्षा, सम्मान और कल्याण के प्रति रेलवे की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक पूर्व तट रेलवे के विभिन्न स्टेशनों, ट्रेनों, कार्यालयों, कारखानों, अस्पतालों और रेलवे कॉलोनियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान में जनभागीदारी, सतत कचरा प्रबंधन, स्वच्छता, व्यवहार परिवर्तन तथा सफाई मित्रों के कल्याण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

फिर चर्चा में पुलिस विभाग: सेवानिवृत्ति के 10 साल बाद भी IPS अधिकारियों के घरों में काम कर रहे हैं अर्दली, शिकायत के बाद बढ़ी चर्चा

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भुवनेश्वर : सेवानिवृत्ति के 5 साल, 10 साल बाद भी कई सेवानिवृत्त IPS अधिकारियों के घरों में पुलिसकर्मियों (फॉलो/अर्दली) को तैनात कर उनसे काम कराया जा रहा है। कोई झड़व के रूप में काम कर रहा है तो कोई रसोया के रूप में। इस मामले की जांच की मांग करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने DGP को लिखित शिकायत दी है। इसके बाद पुलिस महकमे में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। राज्य में सभी रैक के पुलिसकर्मियों की कमी है। इसके बादवृद्ध कृष सेवानिवृत्त IPS अधिकारियों के आवास पर निवृत्त पदों के कोस्टेबल और हेमगार्ड पुलिसकर्मियों (फॉलो/अर्दली) को तैनात कर उनसे निजी और घरेलू काम कराया जा रहा है। इसे लेकर ओडिशा पुलिस में उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2015 में सेवानिवृत्त हुए एक पूर्व DG के घर पर भी अभी पुलिसकर्मियों तैनात होने की बात सामने आई है।

सिर्फ सेवानिवृत्त अधिकारी ही नहीं, बल्कि वर्तमान में कार्यरत कई IPS अधिकारी भी कथित तौर पर अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग कर अपने साथ 10 से 12 फॉलो/अर्दली रखे हुए हैं। वर्ष 2020 में SCRB में कार्यरत एक वरिष्ठ IPS अधिकारी को कमिश्नरेट पुलिस की ओर से फॉलो/अर्दली दिया गया था। बाद में उनका तबादला दूसरी जगह हो गया। तबादले के दौरान वे उक्त फॉलो/अर्दली को भी अपने साथ ले गए। केवल यही अधिकारी नहीं, बल्कि कुछ अन्य अधिकारी भी कई पुलिसकर्मियों को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। हालांकि, इन कर्मचारियों का वेतन कमिश्नरेट पुलिस द्वारा वहन किया जा रहा है। कमिश्नरेट पुलिस क्षेत्र में क्वार्टर मिलने वाले नए IPS अधिकारियों के लिए फॉलो/अर्दली की कमी एक समस्या बन रही है। अर्धव्य रूप से फॉलो/अर्दली रखने का मामला सामने आने के बाद कुछ पुलिस अधिकारियों ने राज्य सरकार को इसकी पूरी तरह निष्पक्ष जांच कराने की जानकारी दी है और



DGP के समक्ष लिखित शिकायत भी की है। साथ ही, शिकायत सही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। अधिकारियों ने अपनी शिकायत में कहा है कि IPS अधिकारियों को सबसे अधिक वेतन और पेंशन मिलने के बादवृद्ध वे घरेलू सहायक रखने के बजाय पुलिस बल के

जवानों से अपने घर का काम करावा रहे हैं। पूर्व DGP वार्ड.बी. खुशबिया ने मई 2024 में एक संकुलर जारी कर मौखिक आदेश के आधार पर किसी भी पुलिसकर्मी को अर्धव्य तैनात नहीं करने की चेतावनी दी थी। हालांकि, आरोप है कि उनकी बात पर अमल नहीं हुआ। DGP विनयगोत्र मिश्रा ने कहा है कि इस शिकायत की जांच की जाएगी। सामान्यतः सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी आवास खाली करने तक या अधिकतम तीन महीने तक कुछ सहायक रखने की अनुमति होती है। लेकिन इतने लंबे समय तक पुलिसकर्मियों को इस तरह तैनात नहीं रखा जा सकता। उन्होंने इसे पूरी तरह अवैध बताया। हालांकि, एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, कुछ हेमगार्ड अपने रखने का खर्च बचाने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों के निजी आवास परिसर में रहते हैं और अपनी इच्छा समाप्त होने के बाद उनकी सहायता करते हैं। अधिकारी के अनुसार, ऐसी व्यवस्था अपने आप में अवैध नहीं है।

आईएमएस-बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, तीस यूनिट रक्तदान कर कर्मचारियों ने दिया मानव सेवा का संदेश



(संतोष कुमार सिंह)

वाराणसी :- काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान विभाग (आईएमएस- बीएचयू) स्थित ट्रॉमा सेंटर में 1 अक्टूबर 2026 गुरुवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रातः दस बजे से अपराह्न चार बजे तक आयोजित हुआ जिसमें कुल तीस यूनिट रक्त का स्वैच्छिक दान किया गया। शिविर में ट्रॉमा सेंटर के नर्सिंग अधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ सहित संस्थान के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और इस मानवीय एवं सामाजिक सरोकार से जुड़ी पहल में अपना योगदान दिया। रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों के उपचार

एवं आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रो. एस.एन. शंखवार, डीन एकेडमिक प्रो. संजय गुप्ता, ट्रॉमा सेंटर के कार्यवाहक प्रोफेसर ईचांज प्रो. राजेश मीना, उप मुख्य प्रोक्टर प्रो. अजीत परिहार, डॉ. कविता मीना, चैप्टेन सहायक कुलसचिव शार्दूल चौबे तथा ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. मनीष निगम उपस्थित रहे। उपस्थित अधिकारियों एवं अतिथियों ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया तथा उनके इस सप्राहनीय एवं अनुकरणीय योगदान की प्रशंसा की। अधिकारियों ने कहा कि रक्तदान एक महान मानवीय सेवा

है जो गंभीर रूप से बीमार मरीजों, दुर्घटना पीड़ितों तथा आपातकालीन परिस्थितियों में उपचाराधीन मरीजों के लिए समय पर जीवनरक्षक रक्त उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रॉमा सेंटर जैसे उच्चस्तरीय आपातकालीन चिकित्सा केंद्र में रक्त की पर्याप्त उपलब्धता गंभीर मरीजों के उपचार में अत्यंत महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान का माध्यम बन सकता है। इस अवसर पर आमजन से भी नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की गई तथा सभी रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया।।

गांधी जयंती और स्वच्छता अभियान: आधुनिक युग में प्रासंगिकता।

-सुनील कुमार महला।

प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में यह दिवस केवल और केवल एक महान नेता के जन्म का ही स्मरण मात्र नहीं है, बल्कि यह उन विचारों को पुनः जीवित करने का अवसर है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक चेतना को एक नई दिशा दी। गांधी जी का स्वच्छता के बारे में यह कथन था कि- 'स्वच्छता ईश्वरभक्ति के बाद दूसरा स्थान रखती है।' कहना गलत नहीं होगा कि गांधी जी स्वच्छता को केवल शारीरिक या बाहरी आवरण तक सीमित नहीं मानते थे, बल्कि इसे आत्म-शुद्धि, नैतिक बल और ईश्वर भक्ति से जोड़कर देखते थे। सच तो यह है कि स्वच्छता केवल आदत नहीं, राष्ट्र की प्रगति का आधार है और स्वच्छ वातावरण स्वस्थ नागरिक और सशक्त समाज का निर्माण करता है। जहाँ स्वच्छता होती है, वहाँ स्वास्थ्य, पर्यटन और विकास को गति मिलती है।

हर नागरिक का छोटा-सा स्वच्छता प्रयास देश की बड़ी तस्वीर बदल सकता है। स्वच्छ सोच, स्वच्छ व्यवहार और स्वच्छ परिवेश से ही विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव है।

स्वच्छ भारत अभियान एक जन-आंदोलन:-

पाठक जानते होंगे कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर की गई थी और इस अभियान का उद्देश्य देश को खुले में शौच से मुक्त बनाना और स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना है। इसके तहत घर-घर शौचालय निर्माण और ठोस-तरल कचरा प्रबंधन पर जोर दिया गया। वास्तव में यह स्वच्छ भारत अभियान ही था, जिसके तहत भारतीय गांवों और शहरों में स्वच्छता के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया। (यह कबिले-तारीफ है कि आज ओडीएफ(खुले में शौच से मुक्ति) के बाद अब ओडीएफ प्लस के माध्यम से गांवों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि स्वच्छता से स्वास्थ्य, पर्यावरण, सम्मान और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा स्वच्छ भारत केवल एक अभियान नहीं, बल्कि स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का जनआंदोलन है।

गांधी जी का स्वच्छता दर्शन और आज के युग में प्रासंगिकता:-

गांधी जी का मानना था कि एक स्वच्छ समाज ही एक स्वस्थ और स्वावलंबी राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। गांधी जी का यह मानना था कि स्वच्छता किसी विशेष वर्ग या जाति का काम नहीं है, बल्कि यह देश के प्रत्येक नागरिक का नैतिक व परम कर्तव्य है। सरल शब्दों में कहें तो उनका यह मानना था कि बाहरी कूड़े-कचरा की सफाई जितनी जरूरी है, उतनी ही आवश्यक मन की बुराइयों- जैसे घृणा, असमानता और छुआछूत की सफाई भी है। दरअसल, गांधी जी अपने आस पास के वातावरण की सफा-सफाई को नैतिक जिम्मेदारी मानते थे और आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए इसे अनिवार्य बनाते थे। आज हम सभी इक्कीसवीं सदी में सांस ले रहे हैं और इस समय पूरी दुनिया तीव्र शहरीकरण, औद्योगिक विकास, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, ऐसे में गांधी जी के स्वच्छता विचार और स्वच्छता अभियान की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में प्लास्टिक कचरा, ई-कचरा और औद्योगिक प्रदूषण गंभीर व बड़ी समस्या बन चुके हैं। स्वच्छता अभियान अब केवल झाड़ू लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कचरा प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट), रीसायकलिंग और पर्यावरण संरक्षण का पर्याय बन गया है। देश की तरक्की और प्रगति के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना बहुत ही जरूरी है और यह तभी संभव हो सकता है जब देश में हर तरफ स्वच्छता हो। गंदगी कई बीमारियों का मूल कारण है। वास्तव में, स्वच्छता से जल जनित और संक्रामक बीमारियों में भारी कमी आती है, जिससे नागरिकों का स्वास्थ्य सुधरता है और चिकित्सा पर होने वाले खर्च में बचत होती है। एक स्वस्थ कार्यबल राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में सीधा योगदान देता है। आज संयुक्त राष्ट्र के 'सतत विकास लक्ष्यों' (जैसे स्वच्छ जल, स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य) को प्राप्त करने में स्वच्छता अभियान एक मजबूत स्तंभ साबित हो रहा है।

स्वच्छ भारत, विकसित भारत:-

वर्ष 2026 तक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 और ग्रामीण चरण-2 के माध्यम से देश को पूरी तरह कचरा-मुक्त और सतत-स्वच्छ बनाने के लक्ष्य पर तीव्र गति से कार्य जारी है। इस वर्ष 'स्वच्छता ही



सेवा 2026' अभियान को 'स्वच्छता में सहभाग; स्वच्छ भारत, विकसित भारत' की राष्ट्रव्यापी थीम के साथ आयोजित किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में 95% से अधिक गांवों ने ओडीएफ प्लस (खुले में शौच मुक्त के साथ अपशिष्ट प्रबंधन) का दर्जा हासिल कर लिया है। वास्तव में यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि स्वच्छ भारत मिशन अब केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं, बल्कि देश में समग्र स्वच्छता और कचरा प्रबंधन का व्यापक अभियान बन चुका है। वर्ष 2026-27 में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के लिए ₹ 7, 192 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 48,096 गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन, 36,119 गांवों में ग्रे-वॉटर प्रबंधन तथा 1,352 ब्लॉकों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 1.50 लाख गांवों में फीकल स्लज प्रबंधन की व्यवस्था विकसित करने का लक्ष्य है। अगस्त 2025 तक 4.77 लाख से अधिक गांव ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके थे। इतना ही नहीं, शहरों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण की दर 75% से अधिक पहुंच गई है। इस मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ऐप के जरिए अब तक 2 करोड़ से अधिक जन शिकायतों का त्वरित समाधान भी दर्ज किया गया है। यह अभियान केवल सरकारी अवसंरचना निर्माण तक सीमित न रहकर जनभागीदारी, रीसायकल और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े एक राष्ट्रीय व्यवहारिक बदलाव में परिवर्तित हो चुका है। ये सभी

आंकड़े बताते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन का अगला चरण स्वच्छता के साथ-साथ कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और स्वच्छ पर्यावरण पर केंद्रित है। अंत में निष्कर्ष के तौर पर यही कहूंगा कि स्वच्छ भारत अभियान केवल और केवल एक अभियान मात्र ही नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। आज गांधी जयंती के अवसर पर हमें यह समझना होगा कि स्वच्छता कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक दैनिक जीवन शैली है। यदि हम कचरा प्रबंधन का व्यापक अभियान बन चाहते हैं, तो हमें स्वच्छता को अपने आचरण में बोलना होगा। हमें देश के नागरिक होने के नाते यह चाहिए कि हम न केवल अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें। आज प्लास्टिक स्वच्छ भारत की बड़ी बाधा है। दरअसल, प्लास्टिक नालियों, नदियों और मिट्टी को प्रदूषित कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए एकल-उपयोग प्लास्टिक पर रोक के साथ इसके जिम्मेदार निस्तारण की जरूरत महती है। हमें यह चाहिए कि हम प्लास्टिक छोड़ें और स्वच्छता को अपनाएं। एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) का बहिष्कार करें। गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने की आदत डालें। हमें यह बात अपने जेहन में रखनी चाहिए कि जब तक हर नागरिक स्वच्छता को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक एक पूर्णतः स्वच्छ और समृद्ध भारत का सपना अधूरा रहेगा। बापू के इस प्रबंधन से जुड़े जीवन रचना ही आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

झारखंड में एसआईआर का अन्तिम चरण , अब बीएलओ घर घर जाकर करेंगे पुनरिक्षण

कार्तिक कुमार परिछा, स्टेट डेड झारखंड

रांची , झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरिक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया का अंतिम चरण गुरुवार से शुरू हो गया। अब बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) नोटिस पाने वाले मतदाताओं के घर-घर जाकर उनकी पात्रता से जुड़े जरूरी दस्तावेज जुटाएंगे।

राज्य में एसआईआर के दौरान 63.24 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें ऐसे मतदाता शामिल हैं, जिनके रिकॉर्ड में तार्किक विसंगति, पुराने मतदाता रिकॉर्ड से मैपिंग नहीं होने या समान जनसंख्यिकीय जानकारी जैसी स्थिति सामने आते हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार, बीएलओ घर जाकर जरूरी दस्तावेज



जुटाएंगे और उन्हें निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके बाद संबंधित निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी दस्तावेजों की जांच कर नियमानुसार निर्णय लेंगे। एसआईआर के तहत दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो गई। इस दौरान नाम जोड़ने, नाम हटाने और मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधार से संबंधित बड़ी संख्या में

आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। निर्वाचन मशीनरी अब इन आवेदनों और आपत्तियों के डिजिटलाइजेशन, जांच, जरूरत के अनुसार नोटिस जारी करने और सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करेगी। इन सभी मामलों के निपटारे के लिए 14 अक्टूबर तक का समय निर्धारित है। इसके बाद 19 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जानी है। सीमित

समय में बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा अब निर्वाचन विभाग के सामने प्रमुख कार्य है। एक तरफ 63 लाख से अधिक नोटिस से जुड़े दस्तावेजों की जांच करनी है, दूसरी तरफ दावा-आपत्ति अवधि में मिले आवेदनों की भी जांच और सुनवाई करनी है। बीएलओ और निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों के स्तर पर यह प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी

करनी होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार, झारखंड ने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए चुनाव आयोग से 60 दिन का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था। यह अनुरोध अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। ऐसे में राज्य में प्रक्रिया मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। निर्वाचन विभाग के कार्यक्रम के मुताबिक, 14 अक्टूबर तक दावों और आपत्तियों का निपटारा पूरा करना है। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी और 19 अक्टूबर को उसका प्रकाशन होगा। अब निर्वाचन मशीनरी का फोरेक्स नोटिस पाने वाले मतदाताओं से दस्तावेज जुटाने, आवेदनों की जांच, आवश्यकतानुसार सुनवाई और अंतिम निर्णय की प्रक्रिया पूरी करने पर है।

शराब की गिरफ्त में दम तोड़ती जिंदगियां और उजड़ते परिवार : (विश्व शराब-मुक्त दिवस - 02 अक्टूबर 2026)

शराबी का नाम आते ही हमारे जहन में सबसे पहले जो छवि उभरती है, वो एक दुर्गुणों से भरपूर गंदे व्यक्ति की, जो नशे की हालत में अपने होश खो चुका है और जीवन को तबाह करने पर तुरान है। जिससे कोई सम्मान नहीं देना चाहता, हर कोई शराबियों से दूर रहना चाहते हैं, परिवार के लोग भी अपने पारिवारिक शराबी सदस्य को नफरत की नजर से देखते हैं। खुरद शराबी भी कभी अपने बच्चे को शराबी बनता हुआ देखना पसंद नहीं करता। शराब के नशे में आज बाप बेटे की जान लेता है, बेटा माँ-बाप की जान लेता है, ऐसी खबरे अक्सर पढ़ते हैं। इतनी बुरी चीज शराब होती है। शराब एक साइकोफिक्टिव और जहरीला पदार्थ है और इसकी लत लग सकती है। यह जहर धीरे-धीरे मस्तिष्क को कमजोर बनाता है, फिर बाद में शराबी अपने मस्तिष्क पर से नियंत्रण खो देता है। इसके बाद मनुष्य खुद के काबू में नहीं रहता और अनुचित कार्य भी करने लगता है, क्योंकि नशे के कारण शराबी अच्छे-बुरे के बीच अंतर करने की क्षमता खत्म कर चुका होता है।

आज के आधुनिक युग में नशा तो जैसे फैशन हो गया है, ऐसा महसूस होता है। लोगों का नशे के प्रति बढ़ता आकर्षण के कारण आकड़े दर्शाते हैं कि, भारत का शराब बाजार 2030 के दशक तक दोगुना होने की राह पर है। किशोरवयीन छात्र-छात्राएं भी पार्टी के नाम पर शराब पीते हैं। बीच सड़क नशे में धुत होकर तमाशा करते हुए उन्हें हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं। नए साल, होली या बर्थडे पार्टी के नाम होनेवाली युवाओं की नशा पार्टी के वीडियो खूब वायरल होते हैं, नकपड़ों की सुंध होती है, न संस्कारों की, केवल मदहोशी की मस्ती छापी होती है। कम उम्र के बच्चे भी शराब के आदी हो रहे हैं, जिस कारण समाज में बाल अपराधिक घटनाएं अत्यधिक बढ़ी हैं।

देश में तेजी से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। अभी अपराधों में कम उम्र के युवा ज्यादा नजर आते हैं, बलात्कार, खून, डकैती जैसे गंभीर अपराधों में भी नाबालिगों की संख्या बेहद है। नशे से अपराध बढ़ते हैं। अधिकतम अपराध

नशे के लिए या नशे की हालत में किये जाते हैं। अधिकतम अपराधी किसी न किसी प्रकार का नशा जरूर करते हैं। हमारे समाज में शराब बेहद आसानी से मिलनेवाला नशा है, जिस तक किसी की भी सहज पहुंच होती है। पिछड़े इलाके, कम शिक्षित वर्ग, ग्रामीण क्षेत्रों में देशी शराब बनाने के अवैध भट्टियों की खबरें भी बहुत दिखती हैं। नकली जहरीली शराब का मार्केट भी लगातार फलफूल रहा है, जबकि बड़ी संख्या में नकली जहरीली शराब पीकर मौत होने की दुर्घटना लगातार होती है। शराब की अवैध तस्करी का जाल तेजी से बढ़ ही रहा है।

विश्वस्वास्थ्य संगठन अनुसार, दुनिया भर में, 2019 में शराब पीने की वजह से लगभग 26 लाख लोगों की मौत हुई। अनुमान के मुताबिक, 40 करोड़ लोग शराब से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। इनमें से 20.9 करोड़ लोग शराब पर निर्भर थे। साल 2019 में शराब द्वारा दिल की बीमारियों से अनुमानित 4,74,000 लोगों की मौत हुई। शराब पीने से कई तरह के कैंसर का



खतरा बढ़ जाता है, जिनमें ब्रेस्ट, लिवर, सिर और गर्दन, एसोर्नेजियल और कोलोरेक्टल कैंसर शामिल हैं। साल 2019 में दुनिया भर में पाए गए कैंसर के मामलों में से 4.4 फीसदी मामलों में कैंसर से हुई। 4,01,000 मौतें शराब पीने की वजह से हुई। शराब से जुड़ी बीमारियों का एक बड़ा हिस्सा सड़क दुर्घटनाओं से भी होता है। शराब पीकर वाहन चलाने पर दुर्घटना होने की प्रबल संभावना रहती है, जिसमें मौतें तो होती ही हैं, लेकिन दुर्घटनाओं में अनेको को जीवन्मर के लिए दिव्यांगता का सामना भी करना पड़ता है। साल 2019 में शराब से जुड़ी

सड़क दुर्घटनाओं में कुल 2,98,000 मौतें हुईं, जिनमें से 1,56,000 मौतें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शराब पीने की वजह से हुईं। अकेले अमेरिका में हर साल शराब से जुड़ी वजहों से लगभग 88,000 लोगों की मौत होती है। जिसे रोका जा सकता है।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत 2018 के रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया था कि, देश में लगभग 16 करोड़ व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं इनमें से 5.7 करोड़ से अधिक व्यक्ति हानिकारक या आश्रित शराब के सेवन से प्रभावित हैं और उन्हें शराब के लोभ को समस्याओं के लिए जल्द मदद की जरूरत है। 2016 में पूरे भारत में शराब पीने की वजह से लिवर सिरोसिस से लगभग 140,600 लोगों की मौत हुई। शराब पीने वाले लगभग सभी लोगों को फैटी लिवर की समस्या हो जाती है, जो शराब छोड़ देने पर ठीक हो सकती है। भारत में शराब पर ज्यादा टैक्स, आबकारी

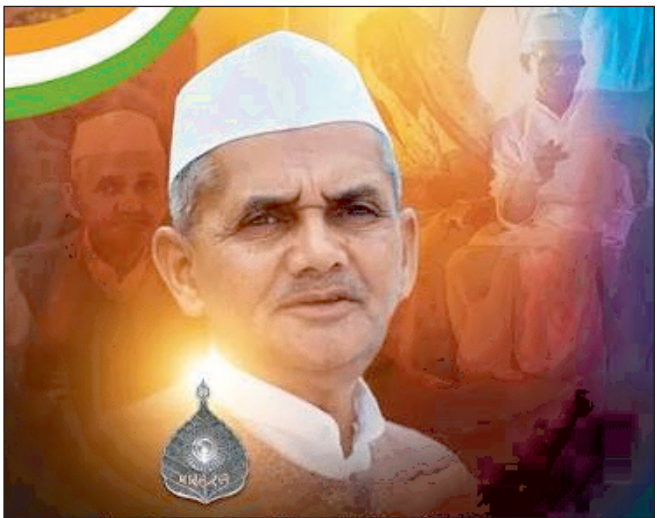
शुल्क, लाइसेंस फीस और दूसरे टैक्स लगते हैं, जिनसे देश भर की राज्य सरकारों को बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। शराब से जुड़े टैक्स से होनेवाला कुल सालाना रेवेन्यू 2025-26 में 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होने का अनुमान रहा। लेकिन शराब द्वारा होनेवाला देश का नुकसान इससे कहीं ज्यादा गुना बड़ा है। रिसर्च कहता है कि, भारत में शराब पीने से होनेवाली मौतों के कारण 2011 से 2050 के बीच कम से कम 25.8 करोड़ जीवन-वर्षों का नुकसान होगा और शराब की बिक्री से मिलने वाले टैक्स को घटाने के बाद भी शराब से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण 2050 तक भारतीय समाज पर 97,895 अरब रुपये का कुल आर्थिक बोझ पड़ेगा, जो कि जीडीपी के 1.45 फीसदी औसत नुकसान के बराबर है। अध्ययन में पाया गया कि, शराब से जुड़ी बीमारियों के इलाज का स्वास्थ्य व्ययस्था पर अनुमानित आर्थिक बोझ 3,127 अरब रुपये होगा। शराब का सामाजिक बोझ - जिसमें स्वास्थ्य व्ययस्था का खर्च, अपनी जेब से किया गया खर्च और

प्रोडक्टिविटी का नुकसान शामिल है, अर्थात 121,364 अरब रुपये आंका गया। परिवार के मुखिया पर घर की जिम्मेदारी, बच्चों की शिक्षा, भरणपोषण, अभिभावकों की सेवा, उनकी हर तरह की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, अगर वही मुखिया शराब के नशे में डूबने लगे तो, वह खुद के साथ परिवार, समाज और देश के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। एक बार किसी को नशे की लत लग जाये तो नशेड़ी अपनी लत पूरी करने के लिए उचित-अनुचित सभी काम करने लगता है। शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर बुरा असर होता है। समाज में समस्याएं तेजी से बढ़ती है और विकास में रुकावटें निर्माण होती हैं। स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी पाने के लिए सबने नशे को र नजर कहना है, मानसिक या शारीरिक सेहत नयबूत बनाना है। अगर देश नशा मुक्त होता है तो, अपराध जगत का आधारस्तंभ ही खत्म हो जायेगा क्योंकि नशा और अपराध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

सादगी की प्रतिमूर्ति भारत रत्न : लाल बहादुर शास्त्री

चेतन चौहान

संसार में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं। दूसरों के दुख को अपना दुःख समझते हैं। ऐसे ही साधारण से दिखने वाले स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने देश की बागडोर संभालने में जिस समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय दिया वह ऐतिहासिक है। इनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल था। परंतु जहाँ देश की बात आती थी वहाँ ये बड़े ही मजबूत व्यक्ति थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय, उत्तर प्रदेश में 'मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव' के यहां हुआ था। शास्त्री जी के पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक (क्लर्क) की नौकरी कर ली थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की माँ का नाम 'रामदुलारी' था। शास्त्री जी की माँ सरल स्वभाव की महिला थीं। उनमें सच्चाई, स्वाभिमान तथा देशभक्ति को भावना कूट-कूटकर भरी थी। शास्त्री जी के बचपन का नाम नन्दे था। बाल्यकाल में इन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब ये केवल अठारह माह के थे तभी दुर्भाग्य से इनके पिता का निधन हो गया। इनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। परन्तु शास्त्री जी की माँ इतनी स्वाभिमानी थीं कि उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और शास्त्री जी को लेकर अपने पिता के घर चले गये। नाना हजारी प्रसाद 'शास्त्री जी' को बहुत लाड़ प्यार करते थे परन्तु शायद किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। अभी शास्त्री जी चार कदम चलना ही सीखे थे कि नाना जी भी चल बसे। शास्त्री जी का भविष्य फिर दोराहे पर आकर खड़ा हो गया शास्त्री जी की माँ ने हार नहीं मानी और शास्त्री जी को उनके मामा के घर बनारस भेज दिया। परन्तु इनकी किस्मत में यहाँ भी सुख नहीं था। इन्हें पढ़ाई पूरी करने के लिए आश्रय की जरूरत थी। इसके लिए इन्हें अपने मामा-मामी के घर झाड़ू लगाना, कपड़े धोना आदि बहुत से काम करने पड़ते थे। शास्त्री जी की माँ उन्हे सिखाती 'जिन्दगी में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो कभी हार न मानना। हाँ माँ की इसी सीख ने शास्त्री जी को विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से स्वयं को निकाल पाने की सीख दी। शास्त्री जी को प्राथमिक शिक्षा के उपरान्त बाकी की शिक्षा हरिश्चन्द्र छाई स्कूल और काशी विद्यापीठ



1929 में इलाहाबाद आने केबाद उन्होंने श्री टंडनजी के साथ 'भारत सेवक संघ' के इलाहाबाद इकाई के सचिव के रुप में कार्य किया। यहाँ उनकी मुलाकात नेहरू जी से हुई इसके बाद नेहरू मंत्रिमंडल में उन्हें गृहमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। इस पद पर वे 1951 तक रहे। 1961 में गृहमंत्री के प्रभावशाली पद पर नियुक्त हुए। तीन साल बाद जवाहर लाल नेहरू के बीमार पड़ने पर शास्त्री जी को बिना किसी विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया और नेहरू जी की मृत्यु के बाद जून 1964 में वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने।

उन्होंने श्री टंडनजी के साथ 'भारत सेवक संघ' के इलाहाबाद इकाई के सचिव के रुप में कार्य किया। यहाँ उनकी मुलाकात नेहरू जी से हुई इसके बाद नेहरू मंत्रिमंडल में उन्हें गृहमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। इस पद पर वे 1951 तक रहे। 1961 में गृहमंत्री के प्रभावशाली पद पर नियुक्त हुए। तीन साल बाद जवाहर लाल नेहरू के बीमार पड़ने पर शास्त्री जी को बिना किसी विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया और नेहरू जी की मृत्यु के बाद जून 1964 में वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने।

देश के हालात बिगड़ने पर अनाज की कमी हो गई इस पर अपने निवास के पीछे की जमीन पर स्वयं ही हल चलाकर खेती करना शुरू कर दिया। उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि अपनी आजादी की रक्षा और देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना जितना जरूरी है उतना ही खाद्यान के मामले में भी आत्मनिर्भर बने। 'जय जवान, जय किसान' को संदेश सारे राष्ट्र को शास्त्री जी ने ही दिया था। शास्त्री जी ने गांधी जी के जीवन मूल्यों को जीवन में उतारा और देशवासियों के अंदर इस आत्मविश्वास को भर दिया कि एक साधारण आदमी भी अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन के बल पर असाधारण ऊँचाइयों को छू सकता है।

11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का देहांत हो गया। शास्त्री जी को उनकी 'राष्ट्रपति', देशभक्ति, ईमानदारी और महान व्यक्तित्व के कारण पूरा भारत श्रद्धापूर्वक आज भी याद करता है। उन्हें वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

भ्रष्टाचार का चरम अड़ा बना झारखंड भू-निबंधन, नामांतरण कार्यालयों में एसीबी का छापा

सिल्ली अमीन 50 हजार रिश्तत लेते गिरफ्तार ,मापी के मांगे थे 2 लाख रू एवं 4 डीसमील जमीन

कार्तिक कुमार परिछा, स्टेट डेड झारखंड

रांची, झारखंड के अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी झारखंड की कार्यवाही लगातार जारी है. इसी कड़ी में रांची के सिल्ली अंचल कार्यालय में तैनात अमीन विनोद लोहरा को एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की टीम ने 50 हजार रुपये रिश्तत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. एसीबी के अनुसार अमीन विनोद लोहरा एक व्यक्ति की जमीन की मापी कराने के बदले 2 लाख रुपये नकद और 4 डिसमिल जमीन रिश्तत के तौर पर मांग रहा था. पीड़ित काफी समय से अपनी जमीन की मापी के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहा था. इसी दौरान उसकी मुलाकात अमीन विनोद लोहरा से हुई. आरोप है कि अमीन ने



जमीन की मापी कराने के लिए उससे बड़ी रकम की मांग की. अमीन ने कहा कि काम कराने के लिए उसे 2 लाख रुपये नकद देने होंगे. इसके साथ ही 4 डिसमिल जमीन भी देनी होगी. अमीन की मांग से परेशान होकर पीड़ित ने रिश्तत देने के बजाय एसीबी से शिकायत करने का फैसला किया. उसने रांची स्थित एसीबी के कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दी. शिकायत मिलने के बाद

एसीबी ने मामले की जांच शुरू की. जांच में रिश्तत मांगने की बात सामने आने के बाद टीम ने अमीन को पकड़ने के लिए प्लान बनाया. गुरुवार गुरुवार को ₹50,000 पहली किस्त लेकर अमीन के पास पहुंचा. जैसे ही लहरा ने रुपए लिए एसीबी उसे पर टूट पड़ा और पकड़ लिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से आरफा तरफी मच गई। लोहार पकड़े जाने के बाद एसीबी टीम ने उसे रांची ले गई।